IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

INDEX

IN

RESPONSE AFFIDAVIT BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION, DEHRADUN

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Ors.

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Index	1
2.	Response Affidavit	2-7
3.	**Annexure No. 1-** (True copy of the relevant portion of the survey report dated 11.03.2016 along with the identification of 27 slums on Rispana River.)	8- 19
4.	**Annexure No. 2-** (True copy of the Act of 2018 and Amendment Act of 2021.)	20 - 28
5.	Vakalatnama	29

Dated: 30th June, 2023

Aman Rab
Advocate
(Counsel for Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun)

28/6/23

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

RESPONSE AFFIDAVIT BY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION, DEHRADUN

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand and Ors.

Respondents

NOTARIAL NOTARIAL

AFFIDAVIT of Manuj Goyal, aged about 36 years, S/o Shri Ghanshyam Aggarwal, presently posted as Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun.

Deponent

I, the above-named deponent does hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as the Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun and is competent to sign and swear the instant affidavit.

2) That the above noted O.A. was listed for hearing on 20.03.2023, wherein the Hon'ble National Green Tribunal was pleased to issue the following directions:

> *"5. In compliance of order dated 10.11.2022, Ms. Sonika, District Magistrate, Dehradun and Mr. Manju Goyal, Commissioner, Municipal*

Corporation, Dehradun have appeared through VC and we have interacted with them and it has been impressed upon them that the aspects of demarcation of the Flood Plain Zone of the River, survey for identifying encroachments, taking of appropriate action for removal of the encroachments and tapping discharge of untreated sewage in the river may be looked into. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to the respondents requiring them to file their reply/response within three months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF."

3) That in compliance of the aforesaid order of this Hon'ble Tribunal, the instant response affidavit is being filed by the deponent.

4) At the outset it is pertinent to clarify that out of the aforementioned four directions issued by the Hon'ble Tribunal vide order dated 20.02.2023, two directions namely, demarcation of the flood plain zone of the river and tapping discharge of untreated sewage in the river falls within the ambit of Irrigation Department, Dehradun and Payjal Nigam, Uttarakhand respectively. Irrigation Department has not been arrayed as a party therefore, a letter has been issued to the Irrigation Department by the answering respondent requiring therein to take necessary action regarding the demarcation of the flood plain zone of the river. Since, vide order dated 20.03.2023 passed by the Tribunal, Uttarakhand Payjal Nigam has been arrayed as

(4)

Respondent No. 6, therefore the Payjal Nigam is responsible to take necessary action regarding the tapping discharge of untreated sewage in the river. Therefore, no action can be taken by the answering respondent w.r.t the aforementioned directions.

5) That w.r.t the action regarding the remaining two directions i.e., survey for identifying encroachments and taking appropriate actions for removal of the encroachments, the same is narrated in the succeeding paragraphs.

6) That at this juncture itself it is pertinent to mention that the Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016 (herein referred as the Act of 2016) was introduced. The Act of 2016 aimed to improve the standard of living of the families living in the slums located in the civic bodies of the state of Uttarakhand and to develop basic facilities in these slums, regularization of occupied land and, where necessary, their rehabilitation and resettlement, and to establish new facilities in the future. It also aimed to ban the settlement of slums in future. In pursuant to the Act of 2016, The Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation, Resettlement and Provisions related thereto and Prevention of Encroachment of the Slums located in Urban Local bodies of the State Rules, 2016 were notified.

7) That for the effective implementation of the Act of 2016 and Rules related thereto, a notification bearing no. 1738/IV(2)-SH.Vi.-16-25(Sa.)/14 dated 30.02.2016 was introduced for its

implementation. In pursuance of the said notification, a survey for identification of encroachments and for identifying the slum areas *inter alia* along the Rispana river was conducted. Vide the said survey a total of 129 slums were identified out of which 27 were alongside Rispana River. Apart from the identification of slums, the area in hectares occupied by 27 slums along with the number of family members residing in the said area was also identified and was duly made part of the report. In this connection copy of the relevant portion of the survey report dated 11.03.2016 along with the identification of 27 slums on Rispana River is being marked and filed as **Annexure No.1** to this affidavit.

8) That with regard to taking appropriate action for removal of the encroachment, it is crucial to state that vide Notification dated 26.07.2018 bearing no. 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018, the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 has been enacted. Section 4(2) and 4(3) of the said Act provides as under: -

> *"(2) Status quo may be maintained according to the situations as on dated 11.03.2016 in the matters described in sub-section (1) in addition to the matters related to any Judgment, decree and orders of the courts under the provisions given in sub-section (1)."*

> *"(3) Any punitive action in consequence of all notices issued by any local body/authority in the related matters of unauthorized construction referred to in sub-section(1), shall be suspended for further three years from the*

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.15(01)2002 UTTARAKHAND (INDIA)

commencement of this Act and no punitive action shall be taken during this period."

9) That the aforesaid provision was amended vide the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 and the period of three years was substituted with six years. In this connection copy of the Act of 2018 and Amendment Act of 2021 is collectively being marked and filed as **Annexure No. 2** to this affidavit.

10) That in light of the immunity granted under Section 4 (1)(2) and (3) of the Act of 2018 and the subsequent amendment made thereto in 2021, status quo has to be maintained and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside river Rispana till the year 2024.

11) That from the above facts and position of law it is clear that the answering respondent has taken necessary action to comply with the directions issued by the Hon'ble Tribunal *qua* the answering respondent.

12) That the deponent is a responsible Government servant having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

Deponent

Verification: -

I, Manuj Goyal, do hereby solemnly affirm and verify on oath that the contents of the above affidavit in paragraph nos. 1, 3, 4(P), 5, 6(P), 11 and 12 are true to my personal knowledge and those in paragraph nos. 2, 4(P), 6(P), 7, 8, 9 and 10 and are based on the perusal of records. Nothing material has been concealed and no part of it is untrue. So, help me God.

Deponent

I, Aman Rab, Advocate, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be deponent is the same person known to me from the perusal of the Aadhar Card No. 4389 5954 5955 of deponent Manuj Goyal which he produced before me in this case.

28/6/23

Aman Rab
Advocate
Enroll. No.- UK No. 365/2007

Solemnly affirmed before me on this 28 day of June, 2023 at about 6.00 by the deponent who has been identified by the aforesaid advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of this affidavit which has been read over and explained to him.

Register's Sl.No. 3702/2
Page No.: 112

This affidavit is sworn before me by Shri Manuj Goyal
who is identified by Shri ....
at Dehradun on 28/6/2023

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Notary

Annexure No 1 (8)

निरंजन बागची बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

1. Survey for indentifying encroachments

उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुर्नस्थापना तथा उससे सम्बन्धित वयवस्थाओं एंव अतिक्रमण निषेध नियमावली–2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना के क्रम संख्या 1738 / IV(2)–श0वि0–16–25(सा0) / 14, दिनांक 30.0.2016 के क्रम में 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया। रिस्पना नदी के किनारे स्थित मलिन बस्तियों का विवरण निम्नवत् है :–

रिस्पना नदी के किनारे स्थित मलिन बस्तियों का विवरण

क्र0सं0	मलिन बस्ती का नाम	श्रेणी	कोओर्डिनेटस		क्षेत्रफल(है0) लगभग / निवासरत परिवारों की संख्या
			LATITUDE(N)	LONGITUDE(E)	
1	वीर गब्बर सिंह, कालोनी, किशनपुर	नदी	30.37604	78.088400	1.368 / 114
2	काठ बंगला, ढाक पटटी	नदी	30.381490	78.093400	1.8 / 150
3	काठ बंगला भाग–2, ढाक पटटी	नदी / निजि			1.2 / 600
4	आर्यनगर बस्ती, करनपुर खास	NZA			3.0 / 400
5	बाडी गार्ड जाखन	नदी	30.353500	78.068270	1.92 / 160
6	अम्बेडकर कॉलोनी, डी0एल0रोड, अधोईवाला	नदी	30.336603	78.064867	1.11 / 1625
7	रिस्पना, खटीक मौहल्ला	निजी भूमि			3.5 / 350
8	विजय नगर, अधोईवाला	निजी भूमि			3.8 / 150
9	भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला	नदी	30.313857	78.065130	6 / 900
10	पंचपुरी चन्दर रोड, डालनवाला	नदी, NZA			0.4 / 300
11	गांधी बस्ती, डालनवाला	निजी भूमि			– / 250

NOTARY Rajendra Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

12	चन्दर रोड, डालनवाला	नदी, NZA	30.[illegible]	78.0613	0.4 / 900
13	बलवीर रोड, तेगबहादुर रोड, डालनवाला	नदी	30.300954	78.062044	0.3 / 300
14	संजय कॉलोनी, मोहनी रोड, धर्मपुर	नदी, NZA	30.30574	78.064218	0.65 / 1100
15	शिव नगर, अजबपुर कला	नदी	30.282778	78.051604	1.3 / 250
16	राजीवनगर भाग–2,डांडा अजबपुर कलां	नदी	30.29854	78.06026	0.9154 / 300
17	रिस्पना नगर, अजबपुर कलां	नदी	-	-	2.82 / 150
18	अपर राजीव नगर, धर्मपुर	नदी	30.30279	78.06349	0.915 / 350
19	केदारपुर मलिन बस्ती, केदारपुर	निजी भूमि			– / 60
20	दीप नगर अजबपुर कला	नदी	30.27568	78.06154	0.15 / 1300
21	ऋषिनगर, अधोईवाला	नदी	30.335325	78.065383	1.11 / 800
22	राजीव नगर कंडोली	नदी	30.345620	78.064690	0.097 / 150
23	आनन्द ग्राम, अधोईवाला	नदी	30.33091	78.07002	0.27 / 15
24	गैस गोदाम, वीर गब्बर सिंह बस्ती, राजपुर, किशनपुर	निजी भूमि			6 / 300
25	नेमी रोड, मलिन बस्ती, डालनवाला उत्तर	नदी	-	-	4.01 / 200
26	शास्त्री नगर, चूना भटटा उत्तर	नदी	30.325361	78.060150	3.01 / 150
27	रिस्पना पुरम, इन्द्रपुरम, डिफेंस कॉलोनी, इन्दरपुर	नदी	30.26849	78.26849	1.2 / 60

संलग्नक–मलिन बस्तियों की सूची।

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA) Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002

(राहुल कण्डवाल) सहायक (भूमि) नगर निगम, देहरादून

(रविन्द्र कुमार दयाल) सहायक नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून

2. Taking of appropriate action for removal of the encroachments

मलिन बस्तियों से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन विधायी एंव संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 273 / XXXVI / (3) / 2018 / 53(1) / 2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018 **"उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018"** (संलग्नक–1) तथा अधिसूचना संख्या 264 / XXXVI / (3) / 2021 / 55(1) / 2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021 **"उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान(संसोधन) विधेयक, 2021"** (संलग्नक–2) के अध्याय–2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निर्देश देने की शक्ति की धारा–4 में प्रर्वतन को स्थगित किया जाना में उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(राहुल कैंथोला)
कर अधीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

(रविन्द्र कुमार दयाल)
सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.-19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

मलिन बस्ती चिन्हांकन / [illegible]

मलिन बस्ती (11.0[illegible] 2016 में अधिसूचित)

66

क्रम सं0	नाम	लोकेशन	वर्तमान में निवास योग्य / अयोग्य	बसने की तिथि वर्ष	क्षेत्रफल हे0	भूमि की [illegible]	निवासरत परिवारों की सं0	सर्किल रेट [illegible]	भवन
1	पथरिया पीर–1	डोभालवाला		1987	5	एन0जेड0ए0	200	700	12000
2	पथरिया पीर–2	डोभालवाला		1987	4.3	एन0जेड0ए0	150	700	12000
3	पथरिया पीर–3	डोभालवाला		1987	3.66	एन0जेड0ए0	275	700	12000
4	विजय कालोनी	हाथीबड़कला		1988	5	एन0जेड0ए0	750	800	12000
5	बृजलोक कालोनी	चुक्खूवाला/सालावाला		1990	2	एन0जेड0ए0	450	800	12000
6	अहीर मण्डी	डोभालवाला		1990	1.5	एन0जेड0ए0	150	750	12000
7	वीर गब्बर सिंह कालोनी	किशनपुर		1993	1.368	6(1) नदी खाला	114	900	23100
8	काठ बंगला	ढाकपट्टी		1993	1.8	6(1) नदी खाला/एन0जेड0ए0	150	900	23100
9	विवेक विहार फेस–1	जाखन		1987	1.8	5(3) क	150	900	18000
10	विवेक विहार फेस–2	जाखन		1987	1.8	5(3) क	100	900	18000
11	विवेक विहार फेस–3	जाखन		1987	1.8	5(3) क	250	900	18000
12	विवेक विहार फेस–4	जाखन		1987	1.8	5(3) क	200	900	18000
13	ब्रहम्मावाला	ब्रहम्मावाला / धोरण खास / कण्डोली		2000	3.81	6(1) खाला	400	700	13200
14	आर्य नगर बस्ती	करनपुर खास		1985	3	एन0जेड0ए0	400	700	12000
15	बॉडी गार्ड	जाखन		1985	1.92	6(1) नदी खाला	160	900	12000
16	नाला पानी रोड	अधोईवाला		1985	3.66	निजि भूमि	750	700	13200
17	अम्बेडकर कालोनी डी0एल0 रोड	अधोईवाला		1985	[illegible]	6(1) नदी	1625	700	13200

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

67

क्र0	नाम	लोकेशन	परिस्थित [illegible] योग्य / अयोग्य	बसने की सम्भावित तिथि वर्ष में	[illegible]	[illegible]	[illegible] की सं0	[illegible]	[illegible]
	रिस्पना खटीक मोहल्ला	अधोईवाला		1985	3.5	[illegible] भूमि	350	700	13200
18	अधोईवाला रोड	अधोईवाला		1985	3.5	[illegible] भूमि	250	700	13200
19	[illegible] नगर	अधोईवाला		2000	3.8	[illegible] भूमि	150	700	13200
20	शान्ति विहार	अधोईवाला		2000	5	[illegible] नदी	300	700	13200
21	भगत सिंह कालोनी	अधोईवाला		2000	6	[illegible] 6(1) नदी	900	700	13200
22	पंच पुरी चन्दर रोड	डालनवाला		1985	0.4	15(1) नदी एन0जेड0ए0	300	1200	23100
23	इन्दर रोड पुरन बस्ती	डालनवाला		1985	0.65	15(1) नदी एन0जेड0ए0	1050	1200	23100
24	गांधी बस्ती	डालनवाला		1985		निजि भूमि	250	1200	23100
25	चन्दर रोड	डालनवाला		1985	0.4	15(1) नदी एन0जेड0ए0	900	1200	13200
26	बलबीर रोड तेग बहादुर रोड	डालनवाला		1985	0.3	16(1) नदी	300	1200	23100
27	संजय कालोनी मोहिनी रोड	धर्मपुर		1985	0.65	15(1) नदी एन0जेड0ए0	1100	1200	23100
28	शिव नगर	अजबपुर कलां		2000	1.3	6(1) नदी	250	700	7500
29	राजीव नगर भाग–2 डांडा अजबपुर	अजबपुर कलां		2000	0.9154	6(1) नदी	300	700	7500
30	रिस्पना नगर	अजबपुर कलां		1985	2.82	6(1) नदी	150	700	7500
31	राजीव नगर	अजबपुरकलां		2000	0.9154	6(1) नदी	450	700	7500
32	अपर राजीव नगर	धर्मपुर		2000	0.9154	6(1) नदी	350	700	7500
33	केदारपुरम् मलिन बस्ती	केदारपुर		2000		निजि भूमि	60	700	7500
34									

नायब तहसीलदार

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(13)

मलिन बस्ती (11.03.2016 से अधिसूचित)

68

	नाम	लोकेशन	परिस्थिति निवास योग्य / अयोग्य	बस्ती की स्थापना सम्बन्धित तिथि वर्ष में	क्षेत्रफल	[illegible]	परिवारों की संख्या	11.2016 [illegible]	[illegible]
35	दीप नगर	अजबपुर कलां		2000	15	6(2) 6(1) नदी	[illegible]	700	7500
36	शिवलोक अजबपुर	अजबपुर कलां		2000	0.2725	6(1) नदी	[illegible]	700	7500
37	ब्रह्मपुरी	निरंजनपुर		2000	2.2	6(1)	600	700	7500
38	स्कीक नगर	निरंजनपुर		2000	0.29	6(1)	150	700	7500
39	अब्दुल हमीद नगर	निरंजनपुर		2000	0.012	6(1)	250	700	13200
40	लोहिया नगर	निरंजनपुर		2000	0.14	6(1)	[illegible]	700	7500
41	संजीव नगर	निरंजनपुर		2000	3.3	6(1)	350	700	7500
42	ब्रह्मपुरी ग्रीन पार्क चमन पुरी	निरंजनपुर		2000	0.36	6(1)	600	700	7500
43	महबूब कालोनी	ब्राह्मणवाला		2000	0.07	6(1)	275	700	7500
44	मच्छी तालाब	निरंजनपुर		2000	0.04	[illegible]	80	700	7500
45	न्यू पटेल नगर	देहराखास		2000		निजि भूमि	275	850	7500
46	सती कालोनी (सत्तोवाल घाटी)	देहराखास		2000	1.6	6(2)	300	850	7500
47	चन्द्र शेखर आजाद कालोनी	कांवली		2000	1.6	6(2)	375	850	7500
48	गांधी ग्राम जी0एम0एस0 रोड	कांवली / देहराखास		2000	1.6	6(2)	375	700	13200
49	शास्त्री नगर (खाला कांवली)	कांवली		2000	1.5	6(2)	350	700	7500
50	राजीव कालोनी गोविन्द गढ़	कांवली		1990	7:35	6(2)	[illegible]	700	12000

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

नायब तहसीलदार
[illegible]

मलिन बस्ती (11.03.2016 से अधिसूचित)

69

क्र0 सं0	नाम	लोकेशन	परिभाषित निवास योग्य / अयोग्य	बसने का समय (किस तिथि वर्ष से)	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	निवासरत परिवारों की सं0	सर्किल रेट	
				1986	0.158	6(1) जलमग्न भूमि	625	700	12000
51	गांधी नगर चकराता रोड	कौलागढ़ चायबाग		1994	1.365	एन0जे0ए0	400	700	7500
52	लोहार वाला	लोहारवाला		1995	2	6(1) खाला	35	900	12000
53	किशन नगर	गढ़ी		1992	5	6(1) एन0जे0ए0 खाला	350	700	13200
54	जवाहर कालोनी–1	कांवली		1992	4	6(1) एन0जे0ए0 खाला	250	700	13200
55	जवाहर कालोनी–2	कांवली		1986	1.263	6(1) जलमग्न भूमि	625	700	13200
56	श्रीदेव सुमन नगर (चोरखाला)	कौलागढ़ चायबाग		1998	1.2	एन0जे0ए0	450	850	13200
57	आज़ाद मण्डी ईदगाह	चक्खुवाला		1998	0.95	6(1) एन0जे0ए0	250	800	13200
58	शिवलोक पुरी कांवली रोड	कांवली		1985	20	एन0जे0ए0	1800	800	13200
59	गांधी ग्राम	देहराखास		1985	1.009	एन0जे0ए0	800	700	13200
60	संजय कालोनी गांधी ग्राम	देहराखास		1985	2.001	एन0जे0ए0	375	800	13200
61	पूर्वी पटेल नगर	देहराखास		1990	1.002	एन0जे0ए0	250	800	12000
62	बंजारा वाला लक्खीबाग	देहराखास		1990	1.002	एन0जे0ए0	800	850	12000
63	मुस्लिम कालोनी कब्रिस्तान	देहराखास		1990	1.001	एन0जे0ए0	150	800	12000
64	न्यू खुड़बुड़ा	देहराखास		2000	1.5		300	700	7500
65	खाला बस्ती	अजबपुर खुर्द							

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
OF UTTARAKHAND

(15)

70

क्र0सं0	नाम	[illegible]	परिस्थिति नियमि. योग्य / अयोग्य	बस्ती की स्थापित तिथि वर्ष में	क्षेत्रफल हे0 में	[illegible]	निवासरत परिवारों की सं0	सर्किल रेट 09.11.2000	सर्किल रेट वर्तमान
				2000	0.435		275	700	7500
66	आजाद नगर माजरा	माजरा		1990	1.01	एन0जे0ए0	200	700	12000
67	बद्रीनाथ कालोनी	डोमालवाला		1985	1.005	एन0जे0ए0	750	600	7500
68	इन्द्रेश नगर	देहराखास		1985	1.007	एन0जे0ए0	425	600	7500
69	जटिया मौहल्ला	देहराखास		1982	1.002	एन0जे0ए0	350	850	12000
70	मद्रासी कालोनी	देहराखास		1982	1.002	एन0जे0ए0	600	1000	12000
71	चन्दर नगर वाल्मीकी बस्ती	देहराखास		1982	1.002	एन0जे0ए0	200	1000	12000
72	चन्दर नगर सती निवास	देहराखास		1985	4	एन0जे0ए0	175	750	12000
73	चुक्खुवाला खटीक मौहल्ला	चक्खुवाला		1985	1.3	एन0जे0ए0	60	750	12000
74	परसौली वाला	डोमालवाला		1985	1.5	एन0जे0ए0	60	700	12000
75	डंगवाल मार्ग	डोमालवाला		1985	0.952	एन0जे0ए0	130	700	12000
76	चुक्खुवाला नई बस्ती	चक्खुवाला		1982	8.5	एन0जे0ए0	450	700	12000
77	इन्द्रा कालोनी	चक्खुवाला		1990	2.56	निजि भूमि	150	750	12000
78	घास मण्डी	ढाकपट्टी		1990	2.5	नं0जेड0ए0/ महंत देवेन्द्र दास	60	750	12000
79	वीर गिर वाली	वीर गिर वाली		1995	1.8	नं0जेड0ए0/ महंत देवेन्द्र दास	150	700	12000
80	चन्द्र लोक राजपुर	राजपुर माफी		1990	5.23	एन0जे0ए0	175	750	13200
81	सुमन नगर घासमण्डी	ढाकपट्टी		2000	3.02	[illegible]	[illegible]	700	13200
82	मेला राम कालोनी सहस्त्रधारा रोड	अधोईवाला							

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(16)

71

मलिन बस्ती (11.03.2016 से अधिसूचित)

सं0	नाम	लोकेशन	परिस्थिति नियमन योग्य / अयोग्य	बसने की सम्भावित तिथि वर्ष में	सम्भावित क्षेत्रफल	[illegible]	[illegible]	06.11.2000	वर्तमान
				2000	1.11	6(1) नदी	[illegible]	[illegible]	15200
83	ऋषिनगर अधोईवाला	अधोईवाला		2000	0.697	5(1), 6(1) एन0जेड0ए0	150	700	7500
84	राजीव नगर कण्डोली	अधोईवाला		2000	0.27	6(1) नदी	15	700	13200
85	आनन्द ग्राम अधोईवाला	अधोईवाला		2000	1.6315	एन0जेड0ए0	45	700	13200
86	हरिद्वार बाईपास सपेरा बस्ती	अजबपुर कलां		2000	0.015	श्रेणी 2	25	700	7500
87	कुमार बस्ती अजबपुर कलां	अजबपुर कलां		1982	6.325	एन0जेड0ए0	300	850	13200
88	सिंघल मण्डी	देहराखास		2000	0.2774	6(1), 6(4), 5(1)	80	700	7500
89	नीलोवाली टर्नर रोड	माजरा		2000	0.08	(5)ड	70	700	7500
90	नया गांव पूर्वा	निरंजनपुर		1990	0.115	6(2)	12	700	1320
91	कांवली रोड विजय पार्क एक्सटेंशन पर बस्ती	कांवली		1990	1.95	एन0जेड0ए0	80	900	1200
92	सैयद मौहल्ला उत्तर	चक्खुवाला		1990	2.6	एन0जेड0ए0	120	850	1320
93	कुम्हार मण्डी ईदगाह	चक्खुवाला		1985	3.05	एन0जेड0ए0	185	800	1320
94	छबील बाग	कांवली		1985	20.25	एन0जेड0ए0	1400	800	1320
95	कांवली रोड भाटड़ा बस्ती	कांवली		1985	1.001	एन0जेड0ए0	20	800	1200
96	डांडीपुर	देहराखास		1985	1.001	एन0जेड0ए0	20	900	1320
97	लुनिया मौहल्ला	देहराखास							

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

72

क्र सं0	नाम	लोकेशन	परिस्थिति निवास योग्य / अयोग्य	बसने की सम्भावित तिथि वर्ष में	सम्भावित क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	निवासरत परिवारों की सं0	सर्किल रेट 09.11.2000	सर्किल रेट वर्तमान
98	रसकोर्स ए0 ब्लॉक	धर्मपुर		1982	6	निजि भूमि	250	1500	23100
99	रसकोर्स बी0 ब्लॉक	धर्मपुर		1982	3.5	निजि भूमि	120	1500	23100
100	रेसकोर्स सी0 ब्लॉक	धर्मपुर		1982	4.983	निजि भूमि	400	1500	23100
101	वाल्मीकि बस्ती (आ0)	धर्मपुर		1982	0.016	निजि भूमि	150	1500	13200
102	मुस्लिम बस्ती अजबपुर कलां	अजबपुर कलां		2000	0.3125	निजि भूमि	15	790	13200
103	थानी गांव मलिन बस्ती	ढाकपट्टी		2007	2.36	निजि भूमि	110	900	23100
104	नई बस्ती घासमण्डी भाग–2 राजपुर	ढाकपट्टी		2007	5	निजि भूमि	80	900	23100
105	काठ बंगला भाग–2 राजपुर	ढाकपट्टी		2007	1.2	निजि भूमि	60	900	23100
106	गैस गोदाम वीर गब्बर सिंह बस्ती राजपुर	किशनपुर		2007	6	निजि भूमि	300	900	23100
107	वाल्मीकि बस्ती राजपुर	बीर गिर वाली		2007	0.02	निजि भूमि	20	750	12000
108	इन्दिरा कालोनी (विजय कालोनी)	हाथीबड़कला		2007	3.2	निजि भूमि	150	700	12000
109	नई बस्ती किशन नगर	चक्खुवाला		2007	1	एन0जेड0ए0	[illegible]0	850	13200
110	गुजराती कालोनी तिलक रोड	देहराखास		2007	0.01	एन0जेड0ए0	[illegible]0	850	12000

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

73

मलिन बस्ती (11.03.2016 में अद्यतनीकृत)

क्र०सं०	नाम	लोकेशन	परिसीमित निकाय की सीमा / अयोग्य	सम्मिलित तिथि वर्ष में	क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	निवासरत परिवारों की सं०	जनसंख्या 01.11.2000	वर्तमान
111	खलीक मौहल्ला तिलक रोड	देहराखास		2007	1.6	एन०जेड०ए०	80	850	1200
112	नेमी रोड मलिन बस्ती डालनवाला उ०	डालनवाला		2007	4.01	6(1)	200	1200	2310
113	नया गाव आराघर डालनवाला द०	देहराखास		2007	0.88	एन०जेड०ए०	40	850	1200
114	शास्त्री नगर चूना भट्टा अधोईवाला उ०	अधोईवाला		2007	3.01	6(1) नदी	150	700	1320
115	समुन पुरी मलिन बस्ती अधोईवाला उ०	अधोईवाला		2007	2	निजी भूमि	90	700	1320
116	उत्तराखण्ड विहार अधोईवाला द०	डालनवाला		2007	3.21	6(1) नदी	150	1200	2310
117	दिव्य विहार अधोईवाला द०	अधोईवाला		2007	2.4	6(1) नदी	120	700	1320
118	रिस्पनापुरम् इन्दिरापुरम् डिफेन्स कालोनी	इन्दरपुर		2007	1.2	6(1) नदी	60		
119	कब्रिस्तान मलिन बस्ती धर्मपुर	धर्मपुर		2007	0.8	एन०जेड०ए०	50	700	750
120	गढ़लोक मलिन बस्ती माता मन्दिर रोड	अजबपुर कला		2007	1.2	6(1) खाला	60	700	750
121	धर्मपुर सुमननगर मलिन बस्ती माता मन्दिर रोड	अजबपुर कला		2007	1.8	एन०जेड०ए०	90	700	750

नायब तहसीलदार
देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

74

क्र0	नाम	लोकेशन	परिस्थिति निवास योग्य / अयोग्य	बसने की सम्भावित तिथि वर्ष में	सम्भावित क्षेत्रफल	भूमि का प्रकार	निवासरत परिवारों की सं0	05.11.2000 [illegible]	[illegible]
122	हरिजन मौहल्ला माता मन्दिर रोड	अजबपुर कलां		2007	1.4	एन0जेड0ए0	70	700	7500
123	नई बस्ती धर्मपुर रेसकार्स द0	धर्मपुर		2007	3	एन0जेड0ए0	150	700	7500
124	लक्खीबाग	देहराखास		2007	1.001	एन0जेड0ए0	175	900	13200
125	वाल्मीकि मलिन बस्ती लक्खीबाग	देहराखास		2007	0.55	एन0जेड0ए0	6	900	13200
126	मुस्लिम बस्ती कसाई मौहल्ला कारगी	कारगी		2007	3.01	6(1) नदी	110	700	12000
127	शर्मा कालोनी ब्रहम्पुरी	ब्राहमणवाला		2007	3.02	6(1) नदी	150	700	7500
128	शिव कालोनी द्रोणपुरी	कांवली		2007	2.5	6(1) नदी	150	800	13200
129	हरबंस वाला मलिन बस्ती बसन्त विहार			2007	4.5	नगर निगम सीमा से बाहर	250		

Patwari T.S. Land J.T.

नायब तहसीलदार
नगर निगम देहरादून

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg. No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

Annexure No2 (20)

क्रम संख्या–105

75 रजिस्ट्रीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–2, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अध्यादेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई, 2018 ई०

श्रावण 04, 1940 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 273/XXXVI(3)/2018/53(1)/2018

देहरादून, 26 जुलाई, 2018

NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND Rajender Singh Negi Advocate District Dehradun Regd. No. 10(01)2002 09-12-27

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन श्री राज्यपाल ने "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018" पर दिनांक 26 जुलाई, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अध्यादेश संख्या 02, वर्ष– 2018 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

76

उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018

(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–02, वर्ष 2018)

(भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष मे राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड में अनधिकृत विकास, अतिक्रमण और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य की विधानसभा सत्र मे नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियॉं विद्यमान है, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

अध्याय–एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों / प्राधिकरणों पर लागू होगा।।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं

2. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्यादेश में:–

(क) "अतिक्रमण" से नगर निकाय क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक / राजकीय भूमि, सड़क मार्ग, गलियों, पैदल मार्गों आदि में आवासीय, व्यवसायिक अथवा अन्य कार्यो हेतु किये गये अतिकमण एवं अस्थायी, अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी निर्माण अभिप्रेत है जो उस क्षेत्र में लागू मास्टर प्लान / योजना का उल्लंघन कर किया गया हो;

(ख) "अध्यादेश" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश, 2018" अभिप्रेत है;

(ग) "नगर निकाय" से ऐसी स्वायत्तशासी संस्था अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित व अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत गठित है, और इसके अन्तर्गत नगर निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायत शामिल हैं;

(घ) "दण्डात्मक कार्यवाही" से स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन अनधिकृत विकास के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अभिप्रेत है जिसमें ध्वस्तीकरण, परिसर की सीलिंग तथा व्यक्तियों अथवा उनके व्यवसाय का विद्यमान स्थान से विस्थापन न्यायालय अथवा अन्यथा के अनुपालन में किया गया हो;

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

(ङ) "नियमावली" से "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) नियमावली, 2016" अभिप्रेत है, किन्तु इस अध्यादेश के अधीन नियमावली का प्रख्यापन से पूर्व तक "उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा उससे सम्बंधित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016" प्रचलन में रहेगी;

(च) "मलिन बस्ती" से नगर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जहाँ अत्यधिक घनत्व, अनियोजित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं मौलिक अधिकारों के अभाव के कारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो। इनमें ऐसी बस्तियाँ भी सम्मिलित होंगी जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्ती के रूप में अधिसूचित की गयी हों;

(छ) "अनधिकृत विकास" से ऐसे भू-उपयोग अथवा भवन उपयोग तथा भवन निर्माण अभिप्रेत है जो स्वीकृत प्लान से सुसंगत न हो अथवा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न हो अथवा मास्टर प्लान अथवा जोनल प्लान अथवा ले-आऊट प्लान अथवा जैसा भी प्रकरण हो, का उल्लंघन करता हो तथा इसके अंतर्गत अतिक्रमण भी शामिल है।

अध्यादेश का अध्यारोही प्रभाव

3. इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अध्यादेश से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अध्याय- दो

राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही व निर्देश देने की शक्ति

प्रवर्तन को स्थगित रखा जाना

4. (1) इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के तिथि से 03 वर्ष के भीतर राज्य सरकार मलिन बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों आदि के रूप में हुए अनधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण जैसी समस्याओं के समाधान हेतु सभी सम्भव प्रयास कर सकेगी, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों का सतत् एवं नियोजित विकास किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत किसी निर्णय, डिक्री तथा न्यायालयों के आदेशों से सम्बन्धित प्रकरणों के अतिरिक्त जोकि उपधारा (1) में वर्णित हैं, में दिनांक 11.03.2016 की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनायी रखी जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) में संदर्भित अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रकरणों में किसी भी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस के फलस्वरूप होने वाली किसी दण्डात्मक कार्यवाही को इस अध्यादेश के लागू होने की तिथि से आगामी 03 वर्ष के लिए स्थगित रहेगी एवं इस अवधि में इन प्रकरणों पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

78

(23)

इस अध्यादेश के प्राविधानों का कतिपय प्रकरणों पर लागू न होना

5. इस अध्यादेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणी के अनाधिकृत विकास के लिए धारा 4 के प्रावधानों के अधीन किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।–

(1) दिनांक 11.03.2016 के पश्चात प्रारम्भ किये गये और निर्माणाधीन किसी भी प्रकार के अनाधिकृत निर्माण कार्य।

(2) सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई भी अतिक्रमण जो कि धारा 4 की उपधारा (1) से आच्छादित न हो।

(3) सार्वजनिक सड़क मार्गों/पैदल मार्गों/फुटपाथ एवं गलियों व पटरियों पर किये गये अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण/विकास।

राज्य सरकार के निर्देश देने की शक्ति

6. राज्य सरकार, समय–समय पर स्थानीय नगर निकायों एवं प्राधिकरणों को, जैसा कि वह उचित समझे, निर्देश दे सकेगी। नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के द्वारा इस अध्यादेश के अधीन निर्गत निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अध्याय– तीन
प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही का संरक्षण

7. इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के किसी अधिकारी या इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध नही की जा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

8. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

कठिनाईयों के निवारण की शक्ति

9. यदि इस अध्यादेश के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्यादेश के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

डॉ0 कृष्ण कान्त पाल,
राज्यपाल,
उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

मीना तिवारी,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 33 विधायी/428–2018–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

(24)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 24 सितम्बर, 2021 ई0

आश्विन 02, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 264/XXXVI (3)/2021/55(1)/2021

देहरादून, 24 सितम्बर, 2021

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 10-12-22 to 09-12-27 GOVT. OF UTTARAKHAND

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) विधेयक, 2021' पर दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्याः 24 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 24, वर्ष 2021)

उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत रूप में यह अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का नाम उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) इसका विस्तार राज्य के समस्त नगर निकायों / प्राधिकरणों पर होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018 की धारा 4 में "03 वर्ष" शब्द और अंकों के स्थान पर, जहां–जहां वे आते हैं, "06 वर्ष" शब्द और अंक रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु प्रतिबद्ध है, इस हेतु राज्य सरकार द्वारा "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान अधिनियम, 2018" अधिनियमित किया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 में अपेक्षित संशोधन किये जाने के उद्देश्य से 'उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संशोधन) अधिनियम, 2021' को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

बंशीधर भगत
मंत्री।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No. 19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

82

(27)

No. 264/XXXVI(3)/2021/55(1)/2021
Dated Dehradun, September 24, 2021

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 (Act No. 24 of 2021)'.**

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 22 September, 2021.

The Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021

(Uttarakhand Act No. 24 of 2021)

An

Act

to amend the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows:-

Short title extend and commencement	1.	(1) This Act may be called the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 (2) It extended to all the Urban Bodies/ Authorities of the state. (3) It shall come into force at once.
Amendment of section 4	2.	In section 4 of the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018, for word and figures "03 years", wherever they occurs, the word and figures "06 years" shall be substituted.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

By Order,

HIRA SINGH BONAL,
Principal Secretary.

Statement of objects and reasons

State government is commited for reforms, Regulation, Rehabilitation and rearrangement of slums situated in all urban bodies of uttarakhand state for this Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018, has been enacted by state government.

With the objectives to do a required amendment in section 4 of aforesaid Act the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021enactment is purposed.

2- Proposed bill fulfills the aforesaid objectives.

Bansidhar Bhagat
Minister

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
10-12-22 to 09-12-27
GOVT. OF UTTARAKHAND

84

VAKALATNAMA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, DELHI

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondents

KNOW AII to whom these presents shall come that I, Manuj Goyal, Commissioner, Municipal Corporation, Dehradun, above named, do hereby appoint Aman Rab, Advocate, hereinafter called that Advocate's to be My/our Advocate s in the above-noted case and authorize them/him:
To act, appear and plead in the above noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Courts. To sign, file. verify and present pleadings, applications, appeals, cross-objections, or Petitions for execution, review, revision, withdrawal, compromise or other petitions replies, objections affidavits or other documents as may be deemed necessary or proper for the prosecution of the said case in all its stages. To file and take back documents. To withdraw, or compromise the said case or submit to arbitration any differences or disputes that may arise touching or in any manner relating to the said case. To take out execution proceedings. To deposit draw and receive moneys, cheques and grant receipts therefore and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case. To appoint and instruct any other legal Practitioner authorising him to exercise the powers and authorities hereby conferred upon the Advocate whenever he may think fit to do so and sign the power of attorney on my/our behalf. And I/We the undersigned to hereby agree to ratify and confirm acts done by the Advocate or his substitute in the matter my/our own acts as if done by me/us to all intents and purposes And I/We the undertake that I/we or my/our duty authorised agent would appear in the court on all hearings and will inform the Advocate for appearance when the case is called And I/we the undersigned do hereby agree not to hold the Advocate or his substitute responsible for the result of the said case in consequence of his absence from the Court when the said case is called up for hearing or for any negligence of the said Advocate or his Substitute. And I/we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or any part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid, he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. If any costs are allowed for an adjournment, the Advocate would be entitled to the same.
IN WITNESS WHEREOF I/we do hereunto set my/our hand to these presents the contents of which have been understood by me/us this 28th JUNE 2023.
Accepted/Certified/Satisfied/Identified by me

28/6/23

Aman Rab Advocate
(Counsel for the Commissioner,
Municipal Corporation,
Dehradun)
Enrol. No. U.K. No. 365/07
Mob No. 9837090945
E-mail ID: aman@rabs.in

Manuj Goyal
Commissioner,
Municipal Corporation,
Dehradun.